न्यायालय अन्तर्गत उप–समाहर्ता भूमि सुधार, साहेबगंज
मुटेशन अपीलवाद संख्या 07/2008–09
मनोज कुमार यादव –बनाम– बिन्ध्याचल सिंह

– आदेश –

18.2.15

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अपीलकर्ता मनोज कुमार यादव, पिता – स्व0 राजनंदन यादव, साकिन – पुरानी साहेबगंज, थाना – साहेबगंज (नगर), जिला – साहेबगंज के द्वारा साहेबगंज अंचल अन्तर्गत मौजा मदनशाही हाता का जमाबंदी संख्या – 53, रकवा –00–01–10 धूर जमीन अंचल अधिकारी, साहेबगंज के द्वारा स्व0 रामलखन सिंह, पिता – भासू सिंह, साकिन – पुरानी साहेबगंज के पक्ष में आदेशित दाखिल खारिजवाद संख्या – 170/74–75 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक – 12.02.2007 को अपील दायर किया गया। जिसे अंगीकृत करते हुए आगे की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

अपील की कार्रवाई के कम में दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिश दिया गया। जिसके एवज में दोनों पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं का बहस सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा दाखिल खारिजवाद संख्या – 170/74–75 स्व0 रामलखन सिंह के पक्ष में दिनांक 30.11.1974 को पारित किया गया। विवादित भूमि 01 (एक कट्ठा) 10 धूर (दस धूर) का दाखिल खारिज होने के पूर्व ही मेरे द्वारा टाईटल सूट केश सब जज साहेबगंज के न्यायालय में दायर किया गया। जिसकी संख्या – 23/77–78 है। इस टाईटल सूट का फैसला मेरे पक्ष में दिनांक 22.04.1981 को दिया गया। द्वितीय पक्ष को कौस्ट भी लगाया गया। चूँकि इस जमीन का क्रय–विक्रय ही गलत था। इस टाईटल सूट के आलोक में दाखिल खारिज अपीलवाद दायर किया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा दाखिल खारिज रद्द करने का अनुरोध किया गया।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मेरे पक्ष में दाखिल खारिजवाद संख्या – 170/74–75 में मेरे पक्ष में आदेश पारित किया गया। उनके विरूद्ध सीमित अवधि में ही प्रथम पक्ष यानि अपीलकर्ता के द्वारा अपील करना चाहिए था जो नहीं किया गया।

टाईटल सूट में डिग्री होने के बाद जमीन पर दखल प्राप्त करने हेतु एक्सक्यूसन केस समय सीमा के अंदर अपीलकर्ता (प्रथम पक्ष) को करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। जबकि अपील के लिए 03 वर्ष समय सीमा निर्धारित है। ऐसी परिस्थिति में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील अनुचित है तथा नियम संगत नहीं है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को यह भी कथन है कि प्रश्नगत् भूमि मेरे दखल कब्जा में है तथा लगातार लगान रसीद कटाते आ रहे है।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का यह भी कथन है कि द्वितीय पक्ष के प्रतियुत्तर में दाखिल खारिज अपील के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। सिर्फ एक्सक्यूशन में ही टाईम लिमिट होता है। राजस्व वाद में टाईम लिमिट नहीं

Scanned with CamScanner

होता है। टाईटल सूट केस में ही टाईम लिमिट होता है।

इसके प्रतियुक्तर में द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि एक्सक्यूसन सूट के लिए समय सीमा के अन्तर्गत क्यों नहीं मुकदमा दायर किया गया।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के मूल अभिलेख में उल्लेखित है कि रामलखन सिंह, पिता – भासू सिंह ने जमाबंदी रैयत गंगाराम मंडल, पिता – फतुली मंडल, साकिन – पुरानी साहेबगंज नया टोला से क्रय किया है, तथा पंजी II में गंगाराम मंडल, पिता – फतुली मंडल का नाम दर्ज है। जमाबंदी रैयत से राजमहल निबंधन कार्यालय के डीड संख्या 5207/27.08.1974 से क्रय किया गया है।

सोलह आना रैयत को नोटिश निर्गत के पश्चात् किसी के द्वारा आपत्ति नहीं दी गयी। तदुपरांत अंचल अधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक 30.11.1974 को दाखिल खारिज की स्वीकृति रामलखन सिंह (विपक्षी के पिता) के पक्ष में किया गया। अंचल कार्यालय के मूल अभिलेख संख्या – 170/74–75 एवं राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि मात्र खरीदी गयी जमीन का केवाला एवं सोलह आना रैयत की अनापत्ति के आधार पर स्वीकृति दे दी गयी है। जमीन पर खरीददार (रामलखन सिंह) का शांतिपूर्ण दखल हैया नहीं इसका कोई उल्लेख नहीं है।

अपीलकर्ता के पिता राजनंदन यादव ने भी गंगाराम मंडल, पिता–फतुली मंडल से जमाबंदी नं0 53 का एक कट्ठा 10 धूर जमीन निबंधित केवाला संख्या – 5839/26.09.1974 द्वारा क्रय किया है। अपीलार्थी के पिता द्वारा खरीदी गयी जमीन की चौहद्दी उत्तर व पश्चिम में सड़क, दक्षिण में रामलखन सिंह व पूरब में रामदयाल मंडल केवाला (रजिस्ट्री डीड) में दर्शाया गया है।

यहाँ यह भी विचारनीय प्रश्न है कि एक ही विक्रेता द्वारा दोनों पक्षों को किस प्रकार रजिस्ट्री किया गया। रामलखन सिंह एवं ~~रामनंदन~~ राजनंदन यादव द्वारा खरीदगी जमीन का चौहद्दी एक ही है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत केवाला की सत्यापित प्रति में भी वहीं चौहद्दी दर्शाया गया है जो अपीलकर्ता के डीड में दर्शाया गया है।

अंचल अधिकारी, साहेबगंज के दाखिल खारिजवाद संख्या 170/74–75 का मूल अभिलेख अंचल अधिकारी के पत्रांक 11/रा0 दिनांक 09.01.2009 के साथ संलग्न कर भेजी गयी है। उक्त अभिलेख में टाईटल पेंज आदेश फलक एक प्रति, राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन एक प्रति, आवेदन पत्र एक प्रति, नोटिश तीन प्रतियों में अर्थात् कुल 08 पन्नों में संलग्न है। उक्त दाखिल खारिज अभिलेख में विपक्षी के पिता द्वारा खरीदी गयी जमीन का केवाला (रजिस्ट्री डीड) की छाया प्रति/सत्यापित प्रति संलग्न नहीं है।

प्रश्न यह उठता है कि बिना केवाला की सत्यापित प्रति प्राप्त किये किस प्रकार मात्र राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर दाखिल खारिज किया गया। अतएव् डीड संख्या 5207/27.08.1974 की प्रमाणिकता क्या है? साथ ही राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन में भी दाखिल खारिज किये जाने वाली जमीन के चौहद्दी का उल्लेख नहीं है।

Scanned with CamScanner

अपीलकर्ता का यह भी कथन है कि विवादित भूमि 01 कट्ठा 10 धूर पर दखलदहानी को लेकर वर्षो तक विवाद चलता रहा। वर्ष 2006 में अपीलकर्ता के हक में फैसला किया जा चुका है। इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा सब जज ए (एस0 बी0 यादव) साहेबगंज के न्यायालय के टाईटल सूट केस संख्या 23/77–78 राजनंदन यादव –बनाम– रामलखन सिंह में दिनांक 22.03.2006 की छाया प्रति प्रस्तुत किया है। आदेश फलक के कंडिका –7 में उल्लेख किया गया है कि In view if their dissensions. I find that the saledeed filled by the defendant first party ext –A is vogus. Forged document and defendant first party has got not any title on the bosis of this deed.

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि अंचल अधिकारी द्वारा दाखिल खारिज का आदेश पारित करने के 30 (तीस) दिनों के अन्दर ही अपील दायर करना चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा अपील की अवधि बीत जाने के काफी समय बाद अपील दायर किया गया है। इसलिए इस अपीलवाद को खारिज किया जाय।

यह बात सही है कि वर्य 74–75 में दाखिल खारिज स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2007 में अपील दायर किया गया। जिसे दिनांक 12.02.2007 को इस न्यायालय द्वारा अंगीकृत कर लिया गया।

अपीलवाद अंगीकृत करने के बाद, कई तिथि को अभिलेख उपस्थापित किया गया तथा विपक्षी अपना उपस्थिति दर्ज रहे। किन्तु विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता ने अपील अंगीकृत करने पर आपति दर्ज नहीं किया।

अब लगभग आठ वर्षो के बाद अन्तिम बहस के समय आपत्ति दर्ज करते है।

अतः उनका आपत्ति स्वीकार योग्य नहीं है।

उक्त तथ्यों के आधार पर अंचलाधिकारी, साहेबगंज निम्नलिखित बिन्दुओं के साथ विधिवत् जाँचोपरांत दाखिल खारिज के संबंध में नये सिरे से आदेश पारित करें।

1. दाखिल खारिजवाद संख्या 170/74–75 के अभिलेख में संबंधित विपक्षी के रजिस्ट्री डीड की सत्यापित प्रति प्राप्त कर संलग्न करें।
2. दोनों पक्षों के डीड संख्या – 5207/27.08.1974 एवं डीड संख्या 5839/26.09.1974 की प्रमाणिकता की जाँच राजमहल निबंधन कार्यालय से करें।
3. दाखिल खारिज हेतु उभय पक्षों का भूमि पर वास्तविक दखल कब्जा की जाँच करें।
4. उभय पक्षों एवं सोलह आना रैयतों को पुनः नोटिश निर्गत कर विधिसंगत आदेश पारित करने हेतु अभिलेख अंचल अधिकारी, साहेबगंज को वापस किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

18.2.15

उप समाहर्ता,
भूमि सुधार, साहेबगंज।

18.2.15

उप समाहर्ता
भूमि सुधार, साहेबगंज।

ज्ञापांक- 04/डी0 सी0 साहेबगंज दिनांक- 04.6.15

प्रतिलिपि- अंचलाधिकारी साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक- अंतिम आदेश की प्रतिलिपि तथा नामान्तरण वाद सं0- 170/74-75 (श्रीरामलखन सिंह)।
कुल- 08 (आठ) पन्नों में मूल रूप में।

5.6.15

उपसमाहर्त्ता,

Scanned with CamScanner